

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 96/2024

दर्ज दिनांक 09.10.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2024/238

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1. अमीरन पत्नि भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हफीज मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सदीक मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर मृतक के बजाय
- 3/1. अलवीरा खान पुत्री सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
- 3/2. अर्शिद मोहम्मद पुत्र सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
- 3/3. शकीला बानु बेवा सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
4. सबीर मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शबाना बानु पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शबनम बानु पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान ना.बा.व.वि. सरंक्षक मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सहिल खां पुत्र रफीक मोहम्मद मुसलमान ना.बा.व.वि. सरंक्षक मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित


1. हरशचन्द्र टेलर – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक 23/3/26

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 09.09.2025 के द्वारा वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 720 में अंकित आ.सं. 1731 रकबा 0.97 है0 भूमि में वादिया का 68/485 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।




सहायक कलक्टर
(राज.जी.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भूअ./2025/1439 दिनांक 13.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे०) |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत सा. भीटा खातेदार | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 720) | 1731/2 | 0.1360 |
| | | योग | 1 | 0.1360 |
| 2 | 1. अमीरन पत्नि भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 2. सदीक मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 मृतक (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) (अलवीरा खान पुत्री सदीक मोहम्मद, अर्शिद मोहम्मद पुत्र सदीक मोहम्मद, शकीला बानू बेवा सदीक मोहम्मद) 3. सबीर मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 4. हफीज मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 97/417 5. मदीना बानू पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 6. शब्बाना बानू पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 7. ना.बा. शबनम बानू पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 8. ना.बा. साहिल खान पुत्र रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 720) | 1731/1 | 0.8340 |
| | | योग | 1 | 0.8340 |

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



निर्णय-आज दिनांक 23/3/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
सहायक अधिवक्ता
उपखण्ड (अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा)

(अधिकारी)
सहायक अधिवक्ता
उपखण्ड (अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 96/2024

दर्ज दिनांक 09.10.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2024/238

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. अमीरन पत्नि भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हफीज मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सदीक मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर मृतक के बजाय
- 3/1. अलवीरा खान पुत्री सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
- 3/2. अर्शिद मोहम्मद पुत्र सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
- 3/3. शकीला बानु बेवा सदीक मोहम्मद मुसलमान नि.रायपुर हाल नि.माण्डल तहसील माण्डल
4. सबीर मोहम्मद पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शबाना बानु पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शबनम बानु पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान ना.बा.व.वि. सरंक्षक मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सहिल खां पुत्र रफीक मोहम्मद मुसलमान ना.बा.व.वि. सरंक्षक मदीना पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थित

1. हरशचन्द्र टेलर – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एकपक्षीय


निर्णय दिनांक : 23/3/2026

डिक्री दिनांक : 23/3/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री हरशचन्द्र टेलर व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-




वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना -
अपना वहन करे।


सहायक कलक्टर
(राजस्थान सरकार)

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे०) |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कृष्णा कंवर पत्नि घनश्यामसिंह चुण्डावत सा. भीटा खातेदार | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 720) | 1731/2, | 0.1360 |
| | | योग | 1 | 0.1360 |
| 2 | 1. अमीरन पत्नि भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 2. सदीक मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 मृतक (मृतक खातेदार के विधिक वारीसान) (अलवीरा खान पुत्री सदीक मोहम्मद, अर्शिद मोहम्मद पुत्र सदीक मोहम्मद, शकीला बानू बेवा सदीक मोहम्मद) 3. सबीर मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 80/417 4. हफीज मोहम्मद पुत्र भुरे खां मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 97/417 5. मदीना बानू पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 6. शब्बाना बानू पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 7. ना.बा. शबनम बानू पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 8. ना.बा. साहिल खान पुत्र रफीक मोहम्मद मुसलमान सा. रायपुर हिस्सा 20/417 | ग्राम केमुनिया (खाता संख्या 720) | 1731/1 | 0.8340 |
| | | योग | 1 | 0.8340 |


नीजNil.....मुबलिग Nilबाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/3/2026 को जारी किया गया।


 (करुणा लाड़ोती)
 सहायक कलक्टर प्रदेज
 उपखण्ड (बीलवाड़ा)

| मुद | रुपया | पैसे | मुदायला | रुपया | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदया | — | | स्टाम्प अरजीदया | — | |
| स्टाम्प वकीलात नामा | — | | स्टाम्प वकीलात नामा | — | |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | | स्टाम्प वजह सबूत | — | |
| महनताना वकील () | — | | महनताना वकील () | — | |
| खर्चा गवाह | — | | खर्चा गवाह | — | |
| फीस कमीशनर | — | | फीस कमीशनर | — | |
| बाबत् इजराय हुकमनामा | — | | बाबत् इजराय हुकमनामा | — | |
| मुनफरिक | — | | मुनफरिक | — | |
| मीजान | | | मीजान | | |




 सहायक कलक्टर प्रदेज
 उपखण्ड (बीलवाड़ा)